

15. राष्ट्र के विकास में सहयोग देना तथा प्रोत्साहित करना।

16. समाज व उद्योग में श्रमिकों का सम्मान बढ़ाना।

(५) Ch.
T. Union Functions

श्रम संघों के कार्य (Functions of Trade Unions)

श्रम संघों के कार्य इनके उद्देश्यों एवं विकास की अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में श्रम संघ बहुत विकसित अवस्था में हैं तथा शक्तिशाली भी हैं अतः इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। श्रम संघ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा एवं उनका संचर्दन करते हैं।

जान प्राइस का कथन है कि "आज के श्रम संघों के अपने कार्यकलाप श्रमिकों को उचित मजदूरी दिलाने तथा काव्य की दशाओं में सुधार करवाने तक ही सीमित नहीं हैं वरन् वे उन सभी कार्यों से संबंधित हैं जिनसे श्रमिक प्रभावित होते हैं। चाहे वे श्रम शक्ति के रूप में प्रभावित होते हों अथवा नागरिक के रूप में।"

मौटे तौर पर श्रम संघों के कार्य को निम्नलिखित पांच भागों में बांट सकते हैं :

1. आंतरिक या लड़ाकू कार्य, 2. बाह्य कार्य, 3. राजनीतिक कार्य, 4. प्रतिनिधित्वात्मक कार्य, 5. विकासात्मक कार्य।

1. आंतरिक अथवा लड़ाकू कार्य

(Intra-mural or Fighting Functions)

इस प्रकार के कार्यों के अंतर्गत श्रमिक संघ श्रमिकों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस लड़ाई का लक्ष्य होता है : (अ) उचित मजदूरी, (ब) कार्य और सेवा की अच्छी शर्तें, (स) मालिकों के अच्छे व्यवहार, (द) काम के कम घंटे व उद्योग के प्रबंध में हिस्सा। इस लड़ाई में वे अनेक शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे—हड़ताल, बहिष्कार, सामूहिक सौदेबाजी, समझौता-वार्ताएं आदि।

I. Price John : *British Trade Unions*, p. 34.

सामान्यतः लड़ाकू कार्यों में निम्न क्रियाएं की जाती हैं :

(अ) सामान्य हित में सामूहिक सौदेबाजी करना; (ब) व्यक्तिगत हित के लिए विचार-विषय करना; (स) आवश्यकता पड़ने पर हड़ताल की व्यवस्था करना।

2. बाह्य कार्य अधिकार मित्रवत् कार्य (Extra-mural Functions)

इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जो श्रमिक परस्पर एक-दूसरे के जीवन को सुधारने के उद्देश्य से करते हैं। जै. आई. रोपर का एक सुन्दर चाच्चा है, "एक श्रमिक संघ एक नगरपालिका के सदृश है जिसका उद्देश्य नागरिकों का जीवन सुधारना है।" अर्थात् इस प्रकार नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि की सेवाओं की व्यवस्था करती है, श्रमिक संघ भी करता है। इन कार्यों को निम्नलिखित कुछ चर्चों में बांटा जा सकता है :

(अ) शिक्षा संबंधी कार्य (Educational function) : महिला शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय व वाचनालय आदि की व्यवस्था करना।

(ब) आर्थिक कार्य (Economic function) : सहकारी समितियों का निर्माण करना जो सस्ते अनाज, मकान व झग्ग दिलाने से संबंधित कार्य करती हैं। अनाथ गरीबों की सहायता का प्रबंध करना।

(स) स्वास्थ्य संबंधी कार्य (Health related function) : दवा, इलाज, सफाई की व्यवस्था करना व शिशु एवं मातृ कल्याण करना।

(द) मनोरंजन (Entertainment) : खेलकूद, व्यायाम, टूर्नामेंट आदि का प्रबंध करना व कलब इत्यादि का संगठन करना।

(य) सांस्कृतिक कार्य (Cultural function) : लोक नृत्य, संगीत, कला, नाटक इत्यादि।

भारत में भी श्रम संघ इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने 1979 में एक सर्वेक्षण श्रम संघों द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों के संबंध में संपादित किया। इस ब्यूरो ने 102 श्रम संघों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की थीं, उनके द्वारा किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों का व्यौरा सारणी 1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : श्रम संघों द्वारा किये जा रहे कल्याण कार्य

कल्याणकारी कार्य	कार्य करने वाले श्रम संघों की संख्या	कल्याण कार्यों का क्षेत्र
1. शिक्षा	63	श्रमिकों तथा श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति आदि।
2. मनोरंजन	58	आंतरिक एवं ब्राह्म खेलकूद, फिल्म प्रदर्शन, रेडियो, नाटक, भ्रमण कार्यक्रम आदि।
3. धर्मिक आयोजन	31	त्योहारों पर मेले, कीर्तन आदि का आयोजन।
4. चिकित्सा	40	औषधालयों एवं औषधियों की व्यवस्था, टी.बी., मधुमेह आदि रोगों की जांच की व्यवस्था।
5. सहकारी भंडार	43	सस्ती दरों पर चास्तुओं की उपलब्धि, झग्ग सुविधाएं आदि।
6. प्रशिक्षण	14	श्रमिकों की महिलाओं को सिलाई, कड़ाई आदि का प्रशिक्षण, बच्चों का टाइपिंग प्रशिक्षण।
7. आवास	कोई नहीं	

3. राजनीतिक कार्य

(Political Functions)

देश के शासन प्रबंध में भाग लेने के उद्देश्य से निर्वाचन आदि में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को खड़ा करना राजनीतिक कार्यों की श्रेणी में आता है। आर्थर गोल्ड वर्ग के अनुसार, "संघ सदस्यों का यह कर्तव्य है कि वे देश के राजनीतिक अधिकारों के निश्चित राष्ट्रीय कार्यक्रम को आश्रय प्रदान करें तथा अपने संघ को देश के राष्ट्रीय जनसंघों के सदस्य वर्गों के साथ चलाने के लिए दृढ़ता से करें।" संक्षेप में श्रमिक संघ के राजनीतिक कार्य निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं :

(अ) विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजना, नगरपालिकाओं में अपना प्रभाव उत्पन्न करना।

(ब) चुनाव के द्वारा स्वयं अपनी सरकार बनाने का प्रयास करना ताकि सत्ता में आ कर कुछ और अधिक अच्छा काम किया जा सके जैसा कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में है। ऐसा केवल औद्योगिक देशों में संभव है। भारत में भविष्य में ऐसा होना संभव नहीं है।

(स) श्रमिकों के हित के अधिनियमों को बनवाना। भारत में अनेकों अधिनियम श्रमिक आंदोलन के फलस्वरूप बने हैं।

श्रम संघ किसी राजनीतिक व्यवस्था में पनप सकते हैं—चाहे वह पूंजीवाद हो अथवा साम्यवाद। पूंजीवाद के अंतर्गत जहाँ श्रम संघों का प्रमुख कार्य है मजदूरी, कार्य की शर्तों एवं कर्मचारी वर्ग की मांग और पूर्ति से संबंधित विषयों के लिए सेवायोजनों के समक्ष मांग रखना, साम्यवादी देश में श्रमिक संघ उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने में, अनुशासन बनाये रखने में वह देते हैं और समाज कल्याण एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। साम्यवादी देशों में मजदूरी की मांगों के समर्थन में हड़तालों का सहारा श्रमिक संघ नहीं लेते।

4. प्रतिनिधित्वात्मक कार्य

(Representative Functions)

सेवायोजकों के साथ सौदा करने तथा अन्य विविध कार्यों के लिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य श्रम संघों को करना पड़ता है। इसी प्रकार न्यायालय में चलने वाले विवादों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रम संघ द्वारा किया जाता है। श्रम संघ सरकार अथवा सेवायोजकों द्वारा बनायी जाने वाली समितियों में भी अपने प्रतिनिधि भेज कर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

5. विकासात्मक कार्य

(Developmental Functions)

आधुनिक युग में श्रम संघ श्रमिकों के हितों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश के हितों में कुछ विकासात्मक कार्यों में भी योगदान दे सकते हैं। श्रम संघ संकटकालीन स्थिति में अत्यधिक उत्पादन के लिए श्रमिकों को प्रेरित करके देश की रक्षा एवं विकास में महान् योगदान दे सकते हैं। श्रम संघ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करके उनको अपने कार्यों में लगाये रखते हैं जिससे देश में अत्यधिक उत्पादन संभव है। इसी प्रकार श्रम संघ अनेक कार्य करके देश के विकास में योगदान देते हैं।

भारत में श्रम संघ के उद्देश्य व कार्य

Stop